HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. C/352 Jabalpur, dated 03.02.2021
III-10-40/78 -VIII

The copy of Rajpatra dated 22.01.2021 containing Notification issued u/s 12(1) of Civil Court Act, 1958, is forwarded to :-

1. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information,
2. The District and Sessions Judge **Sagar**,
3. The District and Sessions Judge **Ashoknagar**,
4. District Judge, (Inspection), High Court Premises Jabalpur, JE-1, Judges Enclave, Resident Area, Indore, /28-B Race Course, Near Mela Ground Gwalior,
5. The Principal Registrar/OSD, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur,
6. Registrar (J-I)/ (J-II)/ (D.E.)/ (W&I)/ (A)/ (I&L)/ (Examination and Labour Judiciary)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
7. P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
8. P.S. to Hon'ble Shri Justice ....,
9. P.S. to Registrar General/Principal Registrar(Judl.)/Principal Registrar (Vigilance),/Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. P.A. to Director/Additional Director JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
11. Joint Registrar Confidential, Administrative Officer Checker/ Criminal Checker/ Work Section/ Budget/ D.E. High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
12. Computer Operator, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
13. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01.03.2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01.03.2018.

03/02/2021

(R.P.S. CHUNDAWAT)
REGISTRAR (D.E.)

:-:

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2021—माघ 2, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2021

क्र. एफ 1(ए) 10-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, विसबल, मध्य क्षेत्र, पु.मु., भोपाल वर्तमान में पुमनि, एन्टी नक्सल आपरेशन, पु. मु., भोपाल को अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-15 सहपठित नियम-21 के अन्तर्गत निहित शर्तों के अध्याधीन दिनांक 01 जुलाई से 19 अक्टूबर 2020 तक, कुल 111 दिवस असाधारण अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि असाधारण अवकाश (EOL) के लिए कोई छुट्टी वेतन नहीं दिया जावेगा.

क्र. एफ 1(ए)151-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/ओएसडी, म. प्र. भवन, नई दिल्ली को दिनांक 13 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2020 तक, 24 दिवस तक का लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अड़तालीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 07 जनवरी 2021

फा. क्र. 3(सी) 8-86-इक्कीस-ब (एक)-39.—राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2021 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी) 8-86-इक्कीस-ब (एक)-39.—राज्य शासन, श्री नितिन अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2021 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

फा. क्र. 3(सी) 8-86-इक्कीस-ब (एक)-39.—राज्य शासन, श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2020 से 19 अप्रैल 2021 तक, छः माह अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3(सी) 8-86-इक्कीस-ब (एक)-39.—राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2020 से 19 अप्रैल 2021 तक छः माह अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2021

फा. क्र. 34(3) 169-इक्कीस-ब (एक)-2021.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम-2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्ति दिनांक से, आगामी एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 05 जनवरी 2021

क्रमांक-सी-23-तीन-10-40/78 (भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666-तीन-10-40/78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 36 सिविल जिला सागर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु-क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	सागर	सागर	9	सागर	7	सागर	10*
		खुरई	3	खुरई	2	खुरई	3
		रेहली	2	रेहली	1	रेहली	1
		बण्डा	1	बण्डा	3	बण्डा	1
		बीना	2	बीना	1	बीना	2
		देवरी	2	देवरी	1	देवरी	1
						गढ़ाकोटा	1
						शाहगढ़	1
						केसली	1

No. C-23/III-10-40/78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh no. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exerecise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December, 2016 following amendment is made. In the said notification, in the Table, for the Serial number 36 Civil District Sagar following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	Sagar	Sagar	9	Sagar	7	Sagar	10*
		Khurai	3	Khurai	2	Khurai	3
		Rehli	2	Rehli	1	Rehli	1
		Banda	1	Banda	3	Banda	1
		Bina	2	Bina	1	Bina	2
		Deori	2	Deori	1	Deori	1
						Garhakota	1
						Shahgarh	1
						Kesli	1

क्रमांक-सी-26-तीन-10-40/78 (भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666-तीन-10-40/78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 3 सिविल जिला अशोकनगर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु-क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	अशोकनगर	अशोकनगर	2	अशोकनगर	3	अशोकनगर	3*
		मुंगावली	2	मुंगावली	1	मुंगावली	3
		चंदेरी	1	चंदेरी	1	चंदेरी	2
						ईसागढ़	1

No. C-26/III-10-40/78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh no. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exerecise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette'' dated 16th December, 2016 following amendment is made. In the said notification, in the Table, for the Serial number 3 Civil District Ashoknagar following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Ashoknagar	Ashoknagar	2	Ashoknagar	3	Ashoknagar	3*
		Mungaoli	2	Mungaoli	1	Mungaoli	3
		Chanderi	1	Chanderi	1	Chanderi	2
						Isagarh	1

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
आर.पी.एस. चुण्डावत, रजिस्ट्रार (डी. ई.).

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 06-01-2020-अ-तेहत्तर.—विभागीय आदेश क्र. एफ 20-01-2010-बी-11, दिनांक 04 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिंदु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्र. 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	तहसील	जिला	कुल भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	औद्योगिक क्षेत्र कदमटोला	अनूपपुर	अनूपपुर	22.796
2	औद्योगिक क्षेत्र करेरा	करेरा	शिवपुरी	5.00
3	औद्योगिक क्षेत्र सेजावाड़ा	चन्द्रशेखर आजाद नगर	अलिराजपुर	21.83
4	औद्योगिक क्षेत्र बड़वार	चन्दिया	उमरिया	4.850
5	औद्योगिक क्षेत्र पलकाटोरी	अशोकनगर	अशोकनगर	36.403
6	औद्योगिक क्षेत्र आगर रोड़ उद्योगपुरी	उज्जैन	उज्जैन	0.303
7	औद्योगिक क्षेत्र निमरानी	कसरावद	खरगौन	121.869
8	औद्योगिक क्षेत्र चिरवई	ग्वालियर	ग्वालियर	3.646

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पर्वत सिंह, उपसचिव.